रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2550] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938
No. 2550] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3297(अ).— यत: दिल्ली मुख्य योजना में अधोउल्लिखित क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.03.2016 की का.आ. 1256 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त किया गया था; और

3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली मुख्य योजना- 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

<u>संशोधन:</u>

1.83 हेक्टेयर माप की भूमि का भू उपयोग निम्न सीमा विवरण के साथ 'व्यावसायिक' (सी-2) से 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक' सुविधाओं में परिवर्तित किया जाता है:-

अवस्थिति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	दि.मु.यो.-2021 एवं जो.वि.यो. के अनुसार भूमि उपयोग	प्रस्तावित भूमि उपयोग जिसमें परिवर्तन किया जाना है	सीमाएं
जोन-'एफ' में डीएमआरसी सरिता विहार डिपो, मथुरा रोड़ के पीछे स्थित दि.वि.प्रा. की भूमि	1.83 हैक्टेयर	व्यावसायिक (सी-2: होलसेल, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और ऑयल डिपो)	पीएस-"सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक" सुविधाएं।	उत्तर: डिस्ट्रिक पार्क दक्षिण: आई.एफ.सी. पूर्व: आई.एफ.सी. पश्चिम: डीएमआरसी सरिता विहार डिपो

[फा. सं. के-13011/29/2016-डी.डी. I]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

S.O. 3297(E).— Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1256(E) dated 30.03.2016 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section(3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of said notice.

2. Whereas one objection/suggestion was received with regard to the proposed modifications; and

3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATION:

The land use of land measuring 1.83 Ha. is changed from 'Commercial' (C-2) to 'Public & Semi-Public' facilities with the following boundary description:-

Location	**Area**	**Land use as per MPD-2021 & ZDP**	**Land use changed to**	**Boundaries**
DDA land located behind DMRC Sarita Vihar Depot, Mathura Road in Zone – F.	1.83 Ha.	'Commercial' (C-2: Wholesale, Warehousing, Cold Storage and Oil Depot).	PS – 'Public and Semi-Public' Facilities.	North: District Park. South: IFC East: IFC West: DMRC Sarita Vihar Depot.

[F. No. K-13011/29/2016-.DD. I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.26 15:51:13 +05'30'